न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णय 26.09.2024

मुकदमा नंबर 05/2022
ऑनलाईन जीसीएमएस नंबर 2022/268

1. अन्नीदेवी पत्नी जेठाराम
2. गोपालीदेवी पत्नी गोविन्दराम

| जातियान मेघवाल निवासीगण दुलचारार तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अपीलान्ट—

बनाम

1. ग्राम पंचायत दुलचासर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत दूलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. मोहनी पत्नी मोहनलाल
4. चुन्नीलाल पुत्र मोहनलाल
5. राजू पुत्र चम्पालाल
6. सुन्दरलाल पुत्र चम्पालाल
7. सुमन पुत्री चम्पालाल
8. गुड्डी पत्नी शिवलाल
9. अजय पुत्र शिवलाल

| जाति मेघवाल निवासीगण दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

10. विक्रम बउम्र 15 वर्ष पुत्र शिवलाल नाबालिग जरिये अपनी माता गुड्डी पत्नी शिवलाल जाति मेघवाल निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

—रेस्पोडेन्टान—

उपस्थितिः—
1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री राजूराम बाना अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 10
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्टगण ग्राम दूलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के निवासीगण है। रेस्पोडेन्टान संख्या 3, 4 तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 5 ता 7 के पिता चम्पालाल रेस्पोडेन्टान संख्या 8 से 10 के पति/पिता स्व. शिवलाल एवं जड़ाव पत्नी जैसाराम की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 2 बीघ 10 बिस्वा वाके रोही दूलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित रही है। उक्त खेत में मोहनी, शिवलाल, चुन्नीलाल का 1/3 हिस्सा, मु. जड़ाव व चम्पालाल का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। उक्त खेत के संयुक्त खातेदारान मोहनी, शिवलाल, चुन्नीलाल, जड़ाव व चम्पालाल ने अपने खेत खसरा नम्बर 21 मिन तादादी 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया था तथा कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग मौका पर अपीलान्ट को संभला दिया गया जिस पर आज दिन तक कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग अपीलान्टगण का चला आ रहा है। खातेदार जड़ाव की मृत्यू दिनांक 20.04.2015 को, शिवालाल की मृत्यू दिनांक 24.08. 2008 को, चम्पालाल की मृत्यू दिनांक 08.01.2011 को तथा चम्पालाल की पत्नी रम्भूदेवी की मृत्यू दिनांक 29.07.2021 को हो चुकी है। राजस्व मामलों में विक्रय पत्र के निष्पादन के समय पक्षकारों से विक्रय पत्र ती[illegible] पंजीयन कार्यालय में ली जाती है जिसमें से मूल विक्रय पत्र क्रेता के पास रहता [illegible] तथा एक प्रति पंजीयन कार्यालय में रहती है तथा एक प्रति राजस्व विभाग में इन्तकाल दर्ज करने हेतु चली जाती है। अपीलान्टगण विक्रय पत्र [illegible] करवाकर घरेलू व कृषि कार्य मे व्यस्त हो गई। अपीलान्टगण को यही ध्यान [illegible] रहा कि राजस्व मा[illegible] खेतो का इन्तकाल पंजीयन कार्यालय द्वारा अपने आप दर्ज कर दिया जावेगा[illegible] कानूनी प्रक्रिय भी यही रही है कि खेतों का विक्रय पत्र पंजीबद्ध होने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:09 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

इन्तकाल अपने आप दर्ज होता है फिर भी अपीलान्टगण ने अपने खरीद शुदा खेत के सम्बन्ध में इन्तकाल दर्ज करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कार्यालय में प्रार्थना पत्र मय विक्रय पत्र की फोटो प्रति उसी समय प्रस्तूत कर दी थी। यह है कि कालान्तर में खसरा नम्बर 21 मीन तादादी 2 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 41 तादादी 0.6300 हैक्टेयर कायम हो चुके है काफी समय बाद भी अपीलान्टान के खरीद शुदा खेत का इन्तकाल अपीलान्टान के नाम दर्ज नहीं हुआ तो अपीलान्ट गोपालीदेवी ने अपने पति के गोविन्दराम के मार्फत प्रशासन गांवों के संग अभियान सन् 2011 में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तूत कर उक्त का इन्तकाल अपीलान्टान के नाम दर्ज करने का निवेदन किया जो तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु हल्का पटवारी को भिजवाई गई। यह है कि अभी अपीलान्टगण ने अपने खरीद शुदा खेत के सम्बन्ध में जमाबन्दी, इन्तकाल आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की तो पता चला कि खातेदार चम्पालाल की मृत्यू के बाद विरासतन इन्तकाल संख्या 363 दिनांक 05.08.2015 के जरिये अपीलान्टान के खरीद शुदा खेत खसरा नम्बर 21 मीन जिसके नया खसरा नम्बर 41 तादादी 0.6300 हैक्टेयर को अन्य खेत खसरा नम्बर 71, 83, 95 रोही दूलचासर के साथ जड़ाव पत्नी जैसाराम, मोहनी पत्नी मोहनलाल, चुन्नीलाल, शिवलाल पुत्रगण मोहनलाल व चम्पालाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 7 व रम्भूदेवी पत्नी चम्पालाल के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्टगण ने खेत खसरा नम्बर 41 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2004 को ही खरीद लिया था तथा इन्तकाल हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रस्तूत कर रखा था फिर भी रेस्पोडेन्टान ने अपीलान्टगण के उक्त विक्रय पत्र को नजरअन्दाज करते हुए तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 के समक्ष इन्तकाल बाबत विचाराधीन कार्यवाही को नजर अन्दाज करते हुए दिनांक 05.08.2015 को वादगत खेत का इन्तकाल संख्या 363 जड़ाव पत्नी स्व. जैसाराम, शिवलाल एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 7 के पिता चम्पालाल के पक्ष में दर्ज कर दिया। उक्त इन्तकाल शुरू से ही गलत व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा खिलाफ कानून है। अपीलान्टगण सीदी सादी कृषि पैशा व घरेलू काम–काजी महिलाये है। अपीलान्टगण द्वारा अपने खरीद शुदा उक्त खेत के गलत रूप से दर्ज इन्तकाल की जानकारी होने पर अपीलान्टगण ने रेस्पोडेटान से दिनांक 12.09.2022 का निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 41 तादादी 0.6300 हैक्टेयर हमारी खरीद शुदा भूमि है जिसका इन्तकाल आपने अपने अन्य खेतो के साथ गलत दर्ज करवाया है तो रेस्पोडेन्टान संख्या 3 ता 10 ने अपीलान्टगण को धमकि दी कि वादगत खेत का इन्तकाल हमने अपने नाम से दर्ज करवा लिया है तथा भविष्य में खेत को हम ही कब्जा काश्त करेंगे तथा किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय हस्तान्तरण भी करेंगे तब अपीलान्टगण ने उसी दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से निवेदन किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 41 तादादी 0.6300 हैक्टेयर वाकेरोही दूलचासर हमारा खरीद किया हुआ है इसलिए विक्रय पत्र के आधार पर उक्त खेत का इन्तकाल हम अपीलान्टान के नाम दर्ज किया जावे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्टगण के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करने से स्पष्ट मना कर दिय है। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर बाला बाला ही वादगत खेत खसरा नम्बर 41 तादादी 0.6300 हैक्टेयर वाकेरोही दूलचासर का इन्तकाल संख्या 363 रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 7 जड़ाव, शिवलाल के पक्ष मे दर्ज कर दिया है जबकि रेस्पो[illegible] व 2 ने इन्तकाल संख्या 363 दर्ज करने के सम्बन्ध में अपीलान्टगण [illegible] न [illegible] कोई सूचना दी ना ही सुनवाई का मौका दिया इस प्रकार इन्तकाल संख्या 363 [illegible] 05.08.2015 शुरू से गलत, अवैध व विधि विरूद्ध है। वादगत खेत पर [illegible] संख्या 3 ता 10 का कभी भी कब्जा, काश्त उपयोग उपभोग नही रहा है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 10 ने अपीलान्टगण को वादगत खेत से बेदखल करने [illegible] खेत को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकि दी है जिस बाबत अलग से स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रस्तूत किया जा रहा है। प्रस्तूत अपील मान्य न्यायालय के श्रवणाधिकार व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:09 IST
Reason: SelfAttested

3

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

क्षेत्राधिकार में है तथा इन्तकाल संख्या 363 दिनांक 05.08.2015 की जानकारी की दिनांक 12.09.2022 तथा प्रमाणित प्रति लेने की दिनांक 19.09.2022 से अन्दर मियाद व पर्याप्त कोर्ट फीस पर प्रस्तूत है।

अतः अपील अपीलान्टगण मय शपथ पत्र प्रस्तूत कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 363 दिनांक 05.08.2015 का निरस्त कर खेत खसरा नम्बर 41 तादादी 0.6300 हैक्टेयर रोही दूलचासर का अपीलान्टान के पक्ष मे खातेदारी का इन्तकाल दर्ज किया जावे।

अपीलान्टगण की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान संख्या 3 ता 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। रेस्पोडेन्टान संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रदान की गई है। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में रेस्पोडेन्टान को अपीलान्टगण की अपील स्वीकार करनें में आपति नहीं होनें व अपील अपीलान्टगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

इन्तकाल संख्या 363 दिनांक 05.08.2015 का निरस्त कर खेत खसरा नम्बर 41 तादादी 0.6300 हैक्टेयर रोही दूलचासर का अपीलान्टान के पक्ष मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2004 के अनुसार इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:09 IST
Reason: SelfAttested